रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, रविवार, फरवरी 1, 1970/माघ 12, 1891

No. 15] NEW DELHI, SUNDAY, JANUARY 1, 1970/ MAGHA 12, 1891

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 1st February 1970

G.S.R. 184.—In persuance of clause (a) of sub-section (3) of section 15 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. G.S.R. 1717, dated the 19th July, 1969, the Central Government hereby determines that, for the purposes of sections 14 and 15 of the said Act, the rates of exchange for conversion of each of the foreign currency specified in column (2) of the Schedule below into Indian currency or *vice versa* shall be the rate mentioned against it in column (3) thereof.

THE SCHEDULE

S. No.	Foreign currency	Rate of exchange of foreign currency equivalent to Rs. 100/-
(1)	(2)	(3)
1.	Australian Dollars	11·80
2.	Austrian Schillings	338
3.	Belgian Francs	653
4.	Canadian Dollars	14·15
5.	Danish Kroners	98·83
6.	Dutch Guilders	47·60
7.	Deutsche Marks	48·54
8.	French Francs	73·35
9.	Hongkong Dollars	80·00
10.	Italian Lire	8237
11.	Japanese Yen	4678
12.	Malaysia Dollars	40·10
13.	Norwegian Kroners	94·12
14.	Pound Sterling	5·528
15.	Singapore Dollars	40·10
16.	Swedish Kroners	67·93
17.	Swiss Francs	56·80
18.	U.S.A. Dollars	13·17

[No. 9/F.No. 15/11/67-Cus.VI.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी 1970

सा० का० नि० 184.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 15 की उपधारा (3) के खण्ड (क) का अनुसरण करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 1717 तारीख 19 जुलाई, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा यह अवधारित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 और 15 के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक विदेशी करेंसी से भारतीय करेंसी में और भारतीय करेंसी से विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के लिए विनिमय की दरें वे होंगी जो उसके सामने उसके स्तम्भ (3) में वर्णित हैं।

अनुसूची

क्रम संख्या	विदेशी करेंसी	100 रु० के समतुल्य की विदेशी करेंसी की विनिमय दर
1	2	3
1.	आस्ट्रेलियाई डालर	11.80
2.	आस्ट्रेलियाई शिलिंग	338
3.	बैल्जियम के फ्रैंक	653
4.	कनाडा के डालर	14.15
5.	डेनमार्क के क्रोनर	98.83
6.	डच गिल्डर	47.60
7.	जर्मन (पश्चिम) मार्क	48.54
8.	फ्रांस के फ्रैंक	73.35
9.	हांगकांग के डालर	80.00
10.	इतालवी लीरा	82.37
11.	जापानी येन	46.78
12.	मलेशियाई डालर	40.10
13.	नार्वे के क्रोनर	94.12
14.	पौण्ड स्टर्लिंग	5.528
15.	सिंगापुर डालर	40.10
16.	स्वीडन के क्रोनर	67.93
17.	स्विटजरलैण्ड के फ्रैंक	56.80
18.	संयुक्त राज्य अमेरिका के डालर	13.17

[सं० 9/एफ० सं० 15/11/67-सी०शु० VI]

ज्योतिर्मय दत्त,

उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970